न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 85/2017 G.C.M.S. No. 2017/00342 वर्ज दिनांक : 28.11.2017

अपीलार्थी:

1. गुमानसिंह पुत्र अमरसिंह
2. इन्द्रा कंवर पत्नि अमरसिंह, जातिगण राजपूत निवासीगण खारीया नीव, तहसील सोजत व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. शिवदान पुत्र ढगलाराम के का.मु.–
   1/1 दलाराम पुत्र शिवदान
   1/2 नेमाराम पुत्र शिवदान
   1/3 सुगणादेवी पुत्री शिवदान पत्नि पारसराम
   1/4 लीलादेवी पुत्री शिवदान पत्नि चेलाराम, तमाम जातिगण सिरवी निवासी खारीया नीव, तहसील सोजत व जिला पाली।
2. चुन्नीलाल पुत्र देवाराम
3. गुणेशराम पुत्र देवाराम, जातिगण सिरवी, निवासीगण खारीया नीव तहसील सोजत व जिला पाली।
4. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत सिटी, तहसील सोजत व जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 814/2017 बअनवान गुमानसिंह वगैरह बनाम शिवदान वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017

पैरोकार–

1. श्री भवानीसिंह जैतावत, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दशरथसिंह चारण, श्री गजेन्द्रसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 31.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 814/2017 बअनवान गुमानसिंह वगैरह बनाम शिवदान वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम खारीया नीव तहसील सोजत में स्थित अपनी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 547, 550, 551, 551/1 कुल खसरा 4 कुल रकबा 3.5800 हैक्टेयर की अपनी खातेदारी भूमि में पहुंचने हेतु कदीम से वर्षों पूर्व का रास्ता जो खसरा नम्बर 541, 542, व 543 में होकर विद्यमान मार्ग को

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

चौड़ा 12 फुट रास्ता पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो रेस्पोंडेन्टगण ने बन्द कर दिया, जिसकी वजह से अपीलान्ट के पास में ग्राम खारीया नीव में जाने हेतु सड़क तक जो खसरा नम्बर 498 गैर मुमकिन रास्ता सिवाय चक मे जाने हेतु खुलवाया व दिलवाया जावे, अपीलान्ट द्वारा चाहा गया यह मार्ग कि अपीलान्ट को अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि उसे उसके कृषि भूमि तक पहुंचाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, तथा चाहा गया मार्ग प्रार्थी की कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए निकटतम एवं लघुतम है, जबकि अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए मार्ग नहीं चाहा गया है, क्योंकि पक्षकारों के मध्य पारस्परिक सहमति से मार्ग तय नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जो नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतु अपीलान्टगण तैयार है, जो रास्ता अपीलान्टगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु अपीलान्टगण की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा संख्या 541, 542 व 543 जो नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी भाग के बीच की कृषि भूमि में से अपीलान्टगण रास्ता प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी हैं। रेस्पोंडेन्टगण ने अपनी कृषि भूमि के चारों तरफ तारबन्दी करवा दी हैं, जिसकी वजह से अपीलान्टगण की खातेदारी कृषि भूमि में पहुंच का कोई रास्ता उपलब्ध नहीं रहा है, तथा न ही विकल्प में कोई अन्य रास्ता मौजुद है, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अधिनस्थ न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र पेश कर 12 फुट चौड़ा रास्ता रेस्पोंडेन्टगण के खसरा संख्या 541, 542, 543 में से दिलाया जाने हेतु एवं राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने हेतु इस्तदुआ मांगी थी, जिसका जवाब रेस्पोंडेन्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, तत्पश्चात तहसीलदार साहब, सोजत को मौका की वास्तविक स्थिति रास्ते एवं वैकल्पिक निकटतम रास्ते की वस्तुस्थिति यानि मौका रिपोर्ट लाने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर तहसीलदार साहब, सोजत ने अपनी मौका रिपोर्ट पेश की, तत्पश्चात बहस होने के बाद अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से उपस्थित नहीं हुए हैं, एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानूनन धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. के मेन्डेटरी प्रोविजन को पूर्ण नहीं करने से पोषणीय नहीं होना पाया जाता हैं, लिहाजा अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जबकि अपीलान्टगण के पास उक्त मांगे गए रास्ते के अलावा गांव में आने–जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने के बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध तरीके से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 547, 550, 551 व 551/1 तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण रेस्पॉडेंट के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 07.11.2017 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 547 व 547/1 के मध्य सरकारी खड़ीन की पाल मौके पर मौजूद होने जो कि चाहे गए रास्ते में आती हैं एवं वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने के आधार पर प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सोजत एवं भू.अ.नि. की विस्तृत मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट की आराजी तक पहुंच के लिए कोई पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। अतः रास्ते की मांग महज सुविधा के लिए नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। पहुंच मार्ग हेतु जांच रिपोर्ट अनुसार प्रथम विकल्प खसरा संख्या 498 गैर मुमकिन रास्ता से खसरा संख्या 543, 542 व 541 की दक्षिणी सीमा के सहारे ए से बी के रूप में कुल प्रस्तावित रकबा 848 वर्गमीटर है।

4. अन्य विकल्प जो अप्रार्थी द्वारा दर्शाया गया वह खसरा संख्या 520/1 में जी से एच तक रकबा 224 वर्गमीटर व खसरा संख्या 553 में ई से एफ तक रकबा 236 वर्गमीटर है। लेकिन एच से आगे राजकीय गोचर भूमि खसरा संख्या 512 स्थित है। जो आगे गैर मुमकिन रास्ते से लगती है। इस प्रकार गोचर भूमि सहित रास्ते से प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 551 की सीमा तक प्रस्तावित रास्ते की लंबाई प्रथम विकल्प से बहुत अधिक होती हैं तथा मध्य में गोचर भूमि भी स्थित है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित विकल्प स्वीकार योग्य नहीं हैं।

5. जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 547/1 की पूर्वी सीमा के सहारे एवं खसरा संख्या 538 की दक्षिण सीमा के सहारे लगभग ढाई से चार मीटर चौडी पाल स्थित है तथा विचारण न्यायालय द्वारा इसके आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जबकि पाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए तथा पाल की उंचाई को यथावत रखते हुए तथा जल निकासी यदि आवश्यक हों तो इस हेतु वैकल्पिक प्रावधान करते हुए जोकि प्रार्थी के लिए आज्ञापक है। रास्ता स्वीकृत किया जा सकता था। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा ऐसी नहीं कर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। जबकि प्रार्थी के लिए पहुंच मार्ग का अभाव साबित है। अतः अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाना करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी सोजत द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 814/2017 बअनवान गुमानसिंह वगैरह बनाम शिवदान वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.11.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रकरण में धारा 251–क एवं नियम 69 में विहित प्रावधानों तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए तथा प्रार्थी की आराजी तक पहुंच के लिए सभी संभव विकल्प प्रस्तावित करवाते हुए प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 30.01.2026 को असालतन/वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner